

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- श्री धीरेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :- 38/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. टिमुदेवी पत्नी नाथाराम जाति जाट निवासी आदर्श लूखू पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान		1. रामचन्द्र पुत्र प्रभुराम 2. हीराराम पुत्र प्रभुराम जाति सुथार निवासी भीलों की बस्ती पटवार मण्डल लूखू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :- 23.03.2022

अधिवक्तागण :- 1. श्री देवाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीनी
2. श्री हापूराम विश्वा, अधिवक्ता विप्रार्थीगण

- :: निर्णय :: -

दिनांक :- १-2-24

प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता श्री देवाराम चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी के खेत ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धोरीमन्ना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरे की भूमि पर प्रार्थीनी की क्रय सुदा भूमि हैं जो प्रार्थीनी के क्रय के बाद से आज दिन तक खातेदारी में दर्ज होकर काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं व प्रार्थीनी स्वयं के नाम से है। प्रार्थीनी की उपरोक्त भूमि के सेढा-सेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 233/1 क्षेत्रफल 7.4138 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम विप्रार्थी संख्या 02 के खेत खसरा नम्बर 233 क्षेत्रफल 6.2969 हैक्टेयर किस्म बा. सोयम की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 02 तक के बीच काशत एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीनी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि पर जबरन काशत कर लेते है तथा प्रार्थीनी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग



उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

श्रीमन्म. वाडकर
उपस्थित अधिकारी



हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते है। प्राथमी ही हमेशा के लिए भूमि के सेवों बाबत विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि का श्रीमान लक्ष्मीलदार साहब श्रीमन्म. के कार्यालय से भूमि श्रीमन्म. का आदेश क्रमांक/भू. अ. 31/2021/803 दिनांक 14.12.2021 पटवारी हल्का रूखू को श्रीमन्म. का आदेश क्रमांक 15.12.2021 को हल्का लक्ष्मीलदार साहब श्रीमन्म. के उपरोक्त खसरे का प्राथमी व मौतबरान के कबक श्रीमन्म. पटवारी रूखू द्वारा उपरोक्त खसरे का प्राथमी व मौतबरान के धाबा करवाया गया। किया गया मौके पर उक्त खसरे के सीमा पर अस्थाई रेल के धाबा करवाया गया। उसके बाद आज से करीबन 20 रोज पूर्व विप्राथमीगणों ने रेल धाबा बिखरने की धमकिया दी तब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया हल्का पटवारी व आर.आई ने ने श्रीमन्म. का आदेश श्रीमन्म. कार्यालय से प्राप्त करने हेतु श्रीमन्म. के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन श्रीमन्म. का श्रीमन्म. के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण श्रीमन्म. करने हेतु संबंधित पुलिस थाना हल्का श्रीमन्म. को निर्देशित किया जावे कि वो श्रीमन्म. के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतु पुलिस हेमदाद प्रदान करावे। प्राथमी श्रीमन्म. संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करावने एवं श्रीमन्म. संबंधी फीस अदा करने को तैयार है। बादग्रस्त भूमि मौजा श्रीमन्म. का आवेदन श्रीमन्म. के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू 0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकर्रर न्याय श्रुक्त मुद्दांक 2/- रूपये का साथ पेश है। अतः श्रीमन्म. के समक्ष श्रीमन्म. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथमी की खातेदारी के खेत गाम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र रूखू लक्ष्मील श्रीमन्म. के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टैयर किसम बारानी सीयम के चारों तरफ पक्की नैखमबंदी/पत्थरगोदी का आवेदन स्वीकार कर आवश्यकतानुसार मय पुलिस हेमदाद से करवाने का आदेश करवाने की कृपा करावे का प्राथमी पत्र पेश किया।



उपरोक्त आदेशों पर
आदेश-2021/3

अतः उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थनी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान न्यू-राजस्थान अधिनियम 1956 मली-माली साहित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तद्विषयगत आदेशों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थनी की खातेदारी आराजी राजस्थान ग्राम भीलों की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू एवं वस्ती पटवार क्षेत्र तहसील धौसीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टयर किस्म बाराजी

- : : आदेश -

करना हम उचित एवं विधिमत समझते हैं।
7519 हैक्टयर किस्म बाराजी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार की बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धौसीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 हैक्टयर किस्म बाराजी सोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवाहित आराजी ग्राम भीलों विवेचन/पक्की माट्टे नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते हैं। उपरोक्त एवं विप्रार्थना के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा द्वारा प्रथम पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थनी से करीबन 20 रोज पूर्व विप्रार्थनी ने रोज धाबा विखरने की धमकिया दी प्रार्थनी पर उक्त खसरे के सीमा पर अस्थाई रोज के धाबा करवाया गया। उक्त बाद आज द्वारा उपरोक्त खसरे का प्रार्थनी व मौतबरान के ऊबक सीमाज्ञान किया गया मौके पत्राली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.12.2021 को हल्का पटवारी लूखू हैक्टयर किस्म बाराजी सोयम की खातेदार दर्ज राजस्थान रेकर्ड रेकर्ड खातेदार है। बस्ती पटवार क्षेत्र लूखू तहसील धौसीमना के खसरा नम्बर 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थनी विवाहित आराजी ग्राम भीलों की तथा पत्राली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का मली-माली अध्ययन एवं हमने अधिवक्ता प्रार्थना की बहस को विस्तारपूर्वक रूना तथा प्रार्थना पत्र किया जा।

रहीकार योग्य है।
विप्रार्थना वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र साहजिक, मनाहत तथा के आधार पर होने से खरीज योग्य है, प्रार्थनी अपने खेत की नेखमबन्दी करवाने के हकदार नहीं है। विप्रार्थना को परेशान व तंग करने के लिए आवेदन पत्र किया है जो मय खर्चा खरीज योग्य है। प्रार्थना पत्र खरीज

वाह बना सके, खेती रखवानी के लिए बाह बना सके, प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र पक्की नेखमबन्दी का आदेश प्रदान करवा ताकि खेत के चारों तरफ पक्की बाह/प्रार्थनी वकील ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनी के खेत के चारों तरफ

सोयम का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थनी के हर्जे-खर्चे से उसके खसरा संख्या 233/3 क्षेत्रफल 2.7519 किस्म बारानी सोयम, के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक (नेखमबन्दी/ पत्थरगद्दी) रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।



(धीरेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक १-२-२४ को सरे ईजलास सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सू-अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना